(c) and (d) Allocation to the State Plan is made by the Planning Commission as block loans and block grants and sectorwise allocation are decided by the State Governments. Govt. of India has not received any proposal from Government of Gujarat requesting for increase in the allocation for the flood sector.

World Bank Funds to Orissa

926. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that at the instance of World Bank, Government have instructed to raise the water rate in Orissa by 50%;

(b) what are the details of the amount released to Orissa from the World Bank with the terms and conditions, thereof;

(c) whether any monitoring is being conducted by Government regarding the proper utilisation of funds released from time to time to the State; and

(d) if so, what is the report of such monitoring?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI SIS RAM OLA): (a) Under Schedule 2 (Implementation Program) of the Project Agreement for Orissa Water Resources Consolidation Project between I.D.A. and State of Orissa, it is provided that "Orissa shall take all necessary measures to achieve recovery from users of the full cost of operation and maintenance of the combined water sector as follows (i) 50% by March 31, 1997; (ii) 80% by March 31, 1998; and (iii) 100% by March 31, 2000. Orissa shall thereafter maintain such full cost recovery".

(b) An amount of US$ 51.76 Million has been utilised by the Government of Orissa up to October, 1997 on the above project, leaving a balance of US$ 218.81.

(c) and (d) Regular physical and Financial progress of the project is being monitored by Central Water Commission and as on date the progress of the project is satisfactory.

उत्तरी बिहार में पानी का जमाव

927. **श्री नागमणि:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार की उदासीनता के कारण उत्तरी बिहार में पानी के जमाव की समस्याओं को सुलझाया नहीं गया है; और

(ख) इस संबंध में बिहार सरकार से क्या प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) बिहार सरकार ने उत्तर बिहार की जल जमाव की समस्या के विस्तार का अनुमान लगाया है। बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, उत्तर बिहार में लगभग 9.00 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जल जमाव से प्रभावित है।

(ख) बिहार सरकार से केन्द्रीय जल आयोग में अब तक जल निकास संबंधी अलग से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, पूर्वी कोसी नहर परियोजना फेज II और गण्डक परियोजना फेस II के संबंध में बिहार सरकार से सिंचाई पर दो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे इसमें उत्तर बिहार में जल निकास के पहलु भी शामिल हैं। बिहार सरकार द्वारा एक वर्ष से अधिक समय से केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना न करने के कारण इन परियोजनाओं को फरवरी, 1996 में केन्द्रीय जल आयोग की परियोजनाओं की लम्बित सूची से निकाल दिया गया था।

बिहार में उथला नलकूप परियोजना

928. **श्री नागमणि:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई गैर-सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत उथला नलकूप परियोजना सरकार के पास लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त परियोजना का ब्यौरा क्या है और यह कब प्राप्त हुई थी; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है।?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला:) (क) से (ग) (i) बिहार के ताल क्षेत्रों में सिंचाई के लिए 25850 उथल नलकूपों के निर्माण की 22.23 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक परियोजना रिपोर्ट बिहार सरकार से मार्च, 1997 में कृषि मंत्रालय में

प्राप्त हुई थी। बिहार के ताल क्षेत्रों सहित पूर्वी भारत में फसल उत्पादा बढ़ाने के लिए खेत पर जल प्रबंधन की एक स्कीम कार्यान्वित करने का एक प्रस्ताव केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के विचाराधीन है।

(ii) इसके अलावा उथले नलकूपों/कुओं की स्थपना करने से संबंधित 7048.26 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत की एक परियोजना रिपोर्ट सितम्बर, 1992 में बिहार सरकार से प्राप्त हुई थी। परियोजना रिपोर्ट की जांच की गई थी और जल संसाधन मंत्रालय की टिप्पणियां अनुपालना के लिए बिहार सरकार को भेजी गई थी।

Technical Assistance for Ganges Barrage

929. SHRI RAM DAS AGARWAL: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government have agreed to extend technical assistance to Bangladesh Government towards the construction of the Ganges Barrage and will also attend International Conference;

(b) whether any ministerial level meeting is likely to be held between Bangladesh and India on the sharing of the Teesta flow in Dhaka in the first week of December, 1997 to work out the details of the agreement; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI SIS RAM OLA): (a) During the Thirty-second meeting of the Indo-Bangladesh Joint Rivers Commission held at Dhaka on July 19-20, 1997, India offered consultancy services for feasibility study of Ganges Barrage project in Bangladesh. The Union Government is not aware of any international conference on Ganges Barrage Project.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

मध्य प्रदेश में "केलों" बहु-उद्देशीय परियोजना

930. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में प्रस्तावित "केलो" बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए 1995-1996 से 1997-98 के वर्षों के दौरान हटायी गयी आपत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस परियोजना के निर्माण के लिए अभी किन किन आपत्तियों को दूर किया जाना है और मंजूर प्राप्त की जानी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस परियोजना के लिए कर्मचारी वर्ग और कार्यालय पर हुए स्थापना खर्च का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना के लिए आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) केला सिंचाई परियोजना के संबंध में परियोजना के मूल्यांकन के बारे वर्ष 1995-96 से आज तक का कोई बकाया मुद्दा हल नही किया जा सका है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार कोयला मंत्रालय से कोयले की खानों की जलमग्नता के संबंध में पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण और वन दृष्टि से स्वीकृतियां प्राप्त करनी अपेक्षित हैं तथा केन्द्रीय मृदा एंव सामग्री अनुसंधानशाला, नई दिल्ली के परामर्श से निर्माण सामग्री पहलुओं को अंतिम रुप देना अपेक्षित है।

(ग) स्टाफ और कार्यालय के स्थापना व्यय के ब्यौरे का रखरखाव केन्द्र में नही किया जाता है।

(घ) राज्य सरकार को केन्द्रीय जल आयोग और अन्य केन्द्रीय मूल्याकंन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालन करनी है और उसी रूप में संबंधित केन्द्रीय विभाग मंत्रालयों से आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करनी है।

MR. CHAIRMAN: The House is adjourned till eleven o' clock tommorrow.

The House then adjourned at four minutes past eleven of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 27th November, 1997.

MGIPRRND—66 GIPMR/99—300 Copies